(138)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 412–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–11–2015 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक नजूल वृत्त टी.टी.नगर तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण कमांक 03/अ–12/2015–16.

.....

मुन्ने खॉ पुत्र स्व0अब्दुल अजीज
निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील हुजूर, जिला भोपाल

..... आवेदक

विरूद्ध

अर्जुन यादव पुत्र स्व0विहारी लाल
निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील हुजूर जिला भोपाल

..... अनावेदक

.....

श्री आर.एन.मालवीय, अभिभाषक–आवेदक
श्री अक्षय नामदेव, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 24/11/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, नजूल वृत्त टी.टी.नगर तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय, राजधानी परियोजना टी.टी.नगर भोपाल के समक्ष उसके स्वामित्व की ग्राम प्रेमपुरा, भदभदा रोड स्थित भूमि सर्वे कमांक 93/2 कुल 43 डिसमिल के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–12/15–16 दर्ज कर दिनांक 14–11–2015 को सीमांकन कराया

जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना व सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है, और न ही आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है । यह भी कहा गया कि जब आवेदक को संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में सूचना पत्र प्राप्त हुआ तब उसे सीमांकन आदेश की जानकारी हुई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन में जो पंचनामा बनाया गया है उसमें भी आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, जबकि सीमांकन में अनावेदक की भूमि आवेदक के आधिपत्य में होना दर्शाया गया है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये तथा प्रकरण पुनः सीमांकन हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही के दौरान आवेदक व पड़ोसी कृषकों विधिवत् को सूचना दी गई है और पडोसी कृषक उपस्थित भी हुये हैं । आवेदक सीमांकन कार्यवाही में अनुपस्थित रहा है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा विधिवत् सीमांकन कर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को सुनवाई का किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जबकि वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, कारण सीमांकन में अनावेदक की भूमि 0.03 डिसमिल पर आवेदक का अवैध कब्जा

बतलाया गया है, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि प्रकरण राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदक को विधिवत् सूचना व सुनवाई का अवसर देकर संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुरूप प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कर सीमांकन आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–11–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर